न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./98/2023/बाड़मेर

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेंट्स
1. खुमाराम पुत्र कानाराम, जाति जाट 2. नरेश पुत्र कानाराम, जाति जाट 3. पीराराम पुत्र चेनाराम, जाति जाट 4. बगताराम पुत्र चेनाराम, जाति जाट 5. मूलाराम पुत्र चेनाराम, जाति जाट 6. महेश पुत्र कानाराम, जाति जाट 7. सारो देवी पत्नी कानाराम, जाति जाट, सभी निवासियान कालेवा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. जीवाराम पुत्र रूपाराम, जाति जाट 2. तुलसाराम पुत्र रूपाराम, जाति जाट 3. धुड़ाराम पुत्र रूपाराम, जाति जाट 4. रतनाराम पुत्र रूपाराम, जाति जाट 5. सोनाराम पुत्र निम्बाराम, जाति जाट, सभी निवासियान साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 352/2022 बउनवान जीवाराम वगैरह बनाम सोनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2023 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री पूनमाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रूघाराम कड़वासरा रेस्पो. संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. शेष रेसपोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–28.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 523/270 रकबा 8.4255 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थी संख्या 01/रेस्पों. संख्या 5 के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 525/270 रकबा 12.1163 हेक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 से 8/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 264 रकबा 15.7342 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेसपो. संख्या 01 से 04 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 523/270 रकबा 8.4255 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थी संख्या 01/रेस्पों. संख्या 5 के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 525/270 रकबा 12.1163 हेक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 से 8/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 264 रकबा 15.7342 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है जिसमें अपीलांट या किसी पड़ोसियान व मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं हैं। मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पों. के दबाव में रहते हुए तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में अपीलांट के आलमात के बारे में कोई हवाला नहीं दिया गया है, जबकि प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अपीलांट के चाराबाड़ा व पशुबाड़ा बना हुआ है। उक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट के बारे में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवायी गई थी किन्तु उक्त आपत्ति को नजर अंदाज करते हुए प्रश्नगत एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में इसके उलट है। प्रस्तावित रास्ते की जगह पहले से कोई रास्ता चलायमान नहीं है। फिर भी विधि के नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत में आने जाने हेतु पहले से अन्य विकल्प उपलब्ध है। परन्तु जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अपीलांट को तंग परेशान करने व रंजिश रखते हुए अपीलाधीन आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट के खेत को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है जो कतई विधि संगत नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेसपोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 09.05.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि संगत है। उक्तानुसार रेस्पोंडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स/विप्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रश्नगत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रश्नगत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स/विप्रार्थी 1 व 2 के हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 264 को दो टुकड़ों में विभाजित करते हुए रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। प्रश्नगत एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस प्रेषित किये जाने कोई अंकन नहीं है। अपीलांट/विप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 352/2022 बउनवान जीवाराम वगैरह बनाम सोनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलायमान रास्ते संबंधित एवं जोत को टुकड़ों में विभाजित नहीं करते हुए वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करें तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

28/10/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/10/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर